स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास

डॉ. कृष्णकांत मिश्र
प्राचार्य- एवम् विभागाध्यक्ष, (हिंदी)
डॉ. बी.आर.अंबेडकर पी.जी. कालेज
सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर

Email - mishrakrishnakant3004@gmail.com

शोध सारांश: स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने देशवासियों के भीतर राष्ट्रीय अस्मिता की चाह जगाई, राष्ट्रीय अस्मिता के निर्माण के क्रम में जनता का ध्यान राष्ट्र के प्रवृत्त पर भी गया क्योंकि राष्ट्रीय अस्मिता का अनिवार्य अंग है- राष्ट्रभाषा की अस्मिता राष्ट्र शब्द अंग्रेजी के नेशन का मात्र प्रयाय नही है बल्कि यह एक यह एक निश्चित भू-भाग, एवं व्यवस्था के अंर्तगत रहने वाली आबादी की सभ्यता, संस्कृति स्वाभिमान, चिंतन, एवं मनीषा (इच्छा) का एक मात्र पुंज है। वैसे तो राष्ट्र की सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। किंतु जब राष्ट्र की जनता स्थानीय एवं तत्कालिक हितो एवं पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को विशेष प्रयोजन के लिए चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता एवं गौरव गरिमा का उपादान समझने लगती है तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। किसी भाषा को राष्ट्र भाषा कहने में उसे सम्मान देने का एक अतिरिक्त बोध होता है, पर अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का बोध इसमें निहित नहीं होता। इस तथ्य को सापेक्षिक रूप से तुलना करके नही समझा जा सकता। इस प्रकार राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अन्य प्रांन्तीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है अत: संवाद के दो पक्ष होते हैं।

1. **जनता से जनता के बीच संवाद**
2. **जनता से सरकार के बीच संवाद**

शब्द कुंजी : स्वतंत्रता आंदोलन, अस्मिता, . राष्ट्रभाषा , प्रयोजन, उपादान, सापेक्षिक, संवाद.

प्रस्तावना:

प्रारंभ से हिंदी राष्ट्रभाषा के दोनों दायित्वों का निर्वाह करती रही है। जनता और सरकार से संवाद स्थापना के क्रम में जब-फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कते पेश हुई तब कंपनी सरकार ने फोर्टविलयम कालेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर आधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की।

यहां से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देखकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा सी.टी. मेटकाफ ने 1806 ई.में कालेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जान गिलक्राइट को पत्र लिखा- "भारत के जिस भाग में मुझे काम करना पड़ा है कलकत्ता से लेकर लाहौर तक कुमांऊ के पहाड़ो से लेकर नर्मदा तक...... मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी दूर कोई जानता है जिस प्रदेश का मैने जिक्र किया है, उसमें बहुत सी भिन्न- भिन्न भाषांए बोली जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तानी एक ऐसी जवान है जो आमतौर पर उपयोगी साबित होती है। हिंदी की सर्वव्यापक्ता ही एक वह गुण है जिसने अंग्रेज अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 12 अगस्त 1807 ई. को लेफिटनेंट टौबस रोबक ने मद्रास कमेटी को एक पत्र भेजा था जिसमें असवस्थ होने के कारण घर लौटने की चर्चा के बाद उसने लिखा था कि उसे हिंदुस्तानी के ज्ञान से बहुत लाभ हुआ है। इसी पत्र में उसने आगे प्रार्थना की थी कि उसे इटफर्ड स्थिति कॉलेज के हिंदी विभाग में काम दिया जाय जिससे कि भारत आने से पहले ही अंग्रेज कुछ हिंदुस्तानी सीख ले। उसने लिखा था कि जैसे इग्लैण्ड जाने वालों को लैटिन शेक्सन, या फ्रांसीसी के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए वैसे भारत आने वाले को अरवी, फारसी, या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। यहां पर ऐसा लगता है कि सर्वव्यापकता के साथ-साथ संपर्क में हिंदी की सर्वव्यापकता के साथ-साथ संपर्क में हिंदी की तत्कालिक उपयोगिता ने अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी व्यवहार के लिए प्रेरित किया। रोबक ने राष्ट्रभाषा के रूप में चार क्षेत्रों का निर्देश किया है।

1. देशी अदालतों की सामान्य भाषा हिंदुस्तानी है यद्यपि कभी-कभी फारसी का प्रयोग होता है।
2. हिंदुस्तानी भाषा में सभी राजनीतिक मामलों पर विचार किया जाता है और अंत में इसे फारसी में अनुवाद किया जाता था।
3. मालगुजारी का सारा काम हिंदुस्तानी में होता है।
4. देशी फौज की आम जुबान हिंदुस्तानी है।

1818 ई. में विलयम केरी ने लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। उनकी यह राय इसलिए बनी कि अंग्रेजों को भारत के किसी भी कोने में जो भी मुसलमान नौकर मिलते थे वे हिंदी बोलते थे। एच. टी. कोलबुक की राय थी कि- पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल भाषा हिंदी है जिसे प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग समझ लेते है। ग्रियर्सन ने हिंदी की चर्चा आम

बोलचाल की भाषा ग्रेट लिंगुआ फैंका के रूप में की है। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पस्ट है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के कारण हिंदी अंग्रेजों की कलम और जुवान पर चढ़ी तथा कंपनी के सिक्कों पर हिंदी अक्षर और अंक अंकित होते थे कंपनी के फरमान हिंदुस्तानी में छपते थे । एस समय हिंदी और उर्दू को लेकर कोई विवाद नही था इस प्रकार हिंदी हिंदवी और हिंदुस्तानी को सभी एक ही भाषा मानते थे जिसकी दो लिपियां भी गिलकाइट एवं जान आदि के कोशों में डिक्शनरी का अर्थ लुगत और कोष दोनों दिया रहता था । इन मंतत्यों से निष्कर्ष निकलते है।

1. हिंदी एक आम फहम जुबान थी जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती थी।
2. यह सरकारी दफ्तर की भाषा थी जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी।
3. शुरू में अंग्रेज विद्वान हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानते थे जो दो लिपियों में लिखी जाती थी।
4. अंग्रेजों ने हिंदी को प्रयोग में लाकर संघ भाषा के रूप में हिंदी की सम्भावनाओं की ओर हमारे साहित्यकारों एवं राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान खीचा।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड के एक इस्तहार नामे का हवाला देकर बताया कि सन 1836 में देवनागरी लिपिवाली हिंदी सरकारी दफ्तरों की भाषा बन गई थी, परंतु मुसलमान भाइयों के विरोध के कारण हिंदी चल नहीं पाई फलत:1837 ई. में (उर्दू का और फारसी लिपि वाली हिंदी) दफ्तरों की भाषा बना दी गई ।

हिंदी पुर्नजागरण की भाषा थी, आखिल भारतीय स्तर पर जनता का सम्पर्क सिर्फ हिंदी में ही हो सकता था। समाज सुधार की प्राय: सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भाप लिया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राम राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी के पक्षधर थे। 1815 ई. में उन्होंने वेदान्त सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया तथा कलकत्ता से 1829 ई. में उन्होंने वंगदूत नामक अखबार हिंदी में निकाला। केशवचंद्र सेन ने अपने पत्र 'खुलम समाचार' 1875 में एक लेख लिखा था 'भारतीय एकता कैसे हो' फिर स्यंम ही इसका उत्तर देते हुए लिखा था 'उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार'' इस समय कितनी भाषाएं भारत में प्रचालित है उसमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचालित है इस हिंदी को अगर भारत की एक मात्र भाषा बनायी जाए तब यह काम सहज और शीघ्र ही सम्पन्न हो सकता है। ब्रह्म समाजी नवीनचंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था।

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्कृत में ही वाद विवाद करते थे गुजराती उनकी मात्र भाषा थी और हिंदी का सिर्फ उन्हें काम-चलाऊ ज्ञान था। पर अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए तथा देश की एकता को ख्याल करके उन्होंने अपना 'सत्यार्थ प्रकाश' हिंदी में लिखा। अरविंद्र दर्शन के प्रेणतामहर्षि अरविंद्र की सलाह थी कि लोग अपनी-अपनी मात्र भाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करें।

थियोसोफिकल सोसाइटी की संचालिका श्रीमती एनीवेसेंट कहती थी ''हिंदी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारत की यात्रा कर सकता है भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इससे लगता है कि समाज सुधारकों की सोच बन चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कायम करने के लिए हिंदी आवश्यक है वे जानते थे कि हिंदी बहुसंख्यक जनों की भाषा है तथा एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से सिर्फ इसी भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकते है। यानी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ाने का कार्य इन्हीं समाज सुधारकों ने किया । हिंदी की व्यापक्ता ही देखकर इशाई मिशनरियों ने अपने धर्मप्रचार के लिए हिंदी को चुना तथा उनके कई धर्म ग्रंथ हिंदी में छपे भी । इसका मतलब यह हुआ कि धर्म प्रचारकों एवं समाज सुधारकों का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था या फिर सामाजिक कुरीतियों का अन्त, पर माध्यम रूप में अपनाये जाने का फायदा हिंदी को ही मिला।

1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना हुई जैसे-जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया वैसे-वैसे राष्ट्रीयता राष्ट्रीय झण्डा एवं राष्ट्रभाषा की संकल्पना भारतीयों के मन में बढ़ती गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े पहले सर्मथ व्यक्ति है 'बाल गंगाधर तिलक' इन्होंने कानपुर में जनता द्वारा अपने स्वागत के प्रत्युन्तर में कहा ''यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते है और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।

गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे वे गैर हिंदी भाषी पहले और आखिरी सर्वमान्य भारतीय राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गम्भीरता से विचार किया उनकी भाषा नीति की मुख्य शर्तें निम्न है-

1- भाषा समस्या का समाधान जनता के हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।
2- राष्ट्रभाषा आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति की भाषा है अत:राष्ट्रीय आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म किया जाना चाहिए ।
3- भारतीय जनता की असली भाषा हिंदी ही हो सकती है।

गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के स्वीकार को सार्वजनीय बनाया। अंग्रेजी शासन के विरोध के क्रम में अंग्रेजी भाषा एवं विदेशी वस्तुओं का विरोध शुरू हुआ तथा अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी सामने आयी। मोतीहारी के किसान आंदोलन के पश्चात गांधी जी देश के शीर्षस्थ नेता हो चुके थे, उन्होंने हिंदी को सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तारों पर अपनाया । पहले उन्होंने प्रयासपूर्वक खुद हिंदी सीखी फिर

उसे दूसरों को अपनाने की सलाह दी। 1927 ई. में उन्होंने लिखा वास्तव में अंग्रेजी में बोलने वाले नेता जो आम जनता में हमारा काम आगे बढ़ने नहीं देते वे हिंदी सीखने से इनकार करते है,जबकि हिंदी द्रविण प्रदेशों में भी तीन महीने के अंदर सीखी जा सकती है। गांधी जी ऐसे नेता से परेशान थे जो जनता की बात सबसे अधिक करते थे लेकिन राजनीतिक कार्यवाहियों में जनता की उपेक्षा करते थे। भारतीय स्वाधीनता की मांग अंग्रेजी में करने वाले उन्हें ढ़ोगी लगते थे। सन् 1931 ई. में गांधी जी ने लिखा ''यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारत वासियों का है और केवल उनके लिए है तब संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। अगर स्वराज करोणों भूखे लोगों, करोणों निरक्षर लोगों, करोणों निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तब संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की बात जनता की भाषा में करना चाहते थे उनके प्रयास से ही कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि-

1. अखिल भारतीय स्तर पर जहां तक हो सके कांग्रेस की कार्यवाही हिंदी में हो।
2. अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक काग्रेस कमेटियां प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदुस्तानी का प्रयोग करें।

1937 में देश के कुछ राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमण्डल गठित हुआ तथा इन राज्यों में हिंदी की पढाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया किंतु राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास का कोई ठोस परिणाम सामने नही आया इसका कारण यह था कि महात्मा गांधी के अलावा प्राय:नेता हिंदी को व्यवहार में उतारने की इच्छा नही रखते थे जहाँ तहाँ यदि वे हिंदी का व्यवहार करते थे तो मात्र औपचारिक्ता के लिए।

गांधी जी के दृष्ट में अंग्रेजी का व्यवहार राजनीतिक सास्कृतिक गुलामी का परिणाम था हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सुदृठ करने के लिए उन्होंने वर्धा एवं मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाए स्थापित की उन्ही की प्रेरणा से विद्यापीठ एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी में परीक्षाएं आयोजित की गई। गांधी जी ने हिंदी को अपनाने का एक माहौल बना दिया था इसी कारण कई राष्ट्रीय हस्तियां तन मन से हिंदी की सेवा में जुट गई। काका कालेलकर एवं विनोबा भावे का नाम इस दृष्ट से अग्रणी है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी इसी कड़ी के थे जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हिंदी को आवश्यक मानते थे।

चौथे दशक के तहत हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी गुजरात के ही सरदार बल्लभ भाई पटेल 1940 में जब कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए तो पहले उन्होंने अपना भाषण हिंदी में पढ़ा बाद में अंग्रेजी में पढ़ा।

सुभाष चन्द्र बोस ने 1918 एवं 1929 में अपना भाषण हिंदी में देते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा को गौरव दिलाने की बाता की। क्षतिमोहन सेन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अनुष्ठान को राजसूय यज्ञ की संज्ञा देते थे। वंकिम चंद्र चटर्जी कहते थे कि जो हिंदी भाषा के जरिये राष्ट्रीय एकता कायम करने मे सफल होगा वही भारत वन्धु कहलायेगा।

शताब्दी तक दक्षिण की भाषाएं संस्कृत से प्रभावी होती रही है दक्षिण के तीर्थ स्थलों में हिंदी ही बात व्यवहार की भाषा रही है। व्यापार, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन, के साधनों के कारण भी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी अपरिचित नही रही है। 1929 में सी. राज गोपालचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी उन्ही के शब्दों में - हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही यही जनतात्रिक भारत में राजभाषा भी होगी। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने कहा था – जो राष्ट्रप्रेमी है उन्हें राष्ट्रभाषा प्रेमी होना ही चाहिए।

अन्नतस्वामी अयंगर कृष्णास्वामी अय्यर एवं विजय राधवाचार्य हिंदी के बड़े पक्षधर थे।

मुख्तसर (1) ब्रिटिश साम्राज्यवादी हिंदी को आम आदमी की भाषा मानते थे खड़ी बोली गद्य को पनपाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। शुरू में सरकार की नीति हिंदी के पक्ष में थी पर वाद में कुछ लोगों ने उर्दू को बीच में लाकर फूट डालना शुरू कर दिया।

2. – समाज सुधारों एवं पत्रकारों ने राष्ट्रीय पुर्नजागरण के माध्यम के रूप में हिंदी को अपनाया और उसे आगे बढ़ाया।

3. कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनता से संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी को चुना और उसे राष्ट्रभाषा की गरिमा दी।

संदर्भ – ग्रंथ:

1. स्वतंत्रता आंदोलन एक समीक्षात्मक अध्ययन
2. चाणक्य वार्ता राष्ट्रीय हिंदी भाषा पत्रिका- Vol-7 मार्च 2016
3. तरूण क्रांति पाक्षिक समाचार पत्र राष्ट्रीय हिंदी भाषा -3 संस्करण
4. राष्ट्रीय सहारा संपादकीय विशेषांक oct-2017
5. बहुवचन अंतराष्ट्रीय पत्रिका केंदीय पुस्तकालय राहुल सांकृत्यान महाकवि- महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा,
6. भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है , भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है।